प्रेस नोट दिनाँक-05.11.2022

(1). दिनाँक-05.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 05.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनाँक-05.11.2022 को यातायात माह नवम्बर के परिपेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शिव प्रकाश सोनकर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की अध्यक्षता में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव, पीटीओ श्री वीरेन्द्र राजभर, पीटीओ0 श्री संतोष त्रिपाठी, अध्यक्ष पायनियर्स क्लब/समाजसेवी श्री केशव शिवहरे की उपस्थिति में जे0एम0 बालिका इण्टर कॉलेज कर्वी में यातायात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रुप में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा हेलमेट व सीट बेल्ट की उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी स्कूली वाहनों में फायर सिलेण्डर एव़ं फर्स्ट एड बॉक्स होना अत्यन्त आवश्यक है, स्कूली विद्यार्थियों को बताया गया कि जब भी वाहन से आते जाते समय खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले तथा यातायात नियमों एवं यातायात संकेतक के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। परिवहन विभाग के पीटीओ श्री संतोष तिवारी द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियों के अधिकतर एक्सीडेन्ट होते है जिसका मुख्य कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना तथा उनका पालन न करना।वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हेडफोन का प्रय़ोग न करे, तेज गति से वाहन न चलाए। कही कोई एक्सीडेन्ट होता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे तथा हो सके तो घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के अन्दर नजदीकि अस्पताल अवश्य पहुचाये, मदद करने वाले व्यक्ति को परिवहन विभाग द्वारा 5000 रूपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। क्षेत्राधिकारी यातायात श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा बताया गया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाये, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाये। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट/सीट बेल्ट अवश्य लगाये तेज गति से वाहन न चलाये तथा यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। छात्राओँ को विभिन्न हेल्पलाइन वूमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकाल 112, चिकित्सा आपातकाल 108 के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा बताया गया कि आपका जीवन बहुमूल्य है इसलिए हमेशा सावधानी रखें कभी भी जल्दबाजी में वाहन तेज गति से न चलाए। अपने परिवार के सदस्यों को भी यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी

अवश्य दे तथा पालन करने हेतु जागरूक करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाए तथा वाहन के समस्त कागजात बनवा कर रखें इसमें लापरवाही न करें।
संगोष्ठी के पश्चात छात्राओं के मध्य भाषण/यातायात स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। संगोष्ठी का संचालन अध्यक्ष पायनियर्स क्लब/समाजसेवी श्री केशव शिवहरे द्वारा किया गया।
संगोष्ठी में जे0एम0 बालिका इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अभिमन्यु सिंह एवं आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजबहादुर पुत्र नत्थू कोरी निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी
3. आरक्षी शिवम गुप्ता
4. आरक्षी अभिषेक

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 229/2022 धारा 324,323,504,506 भादवि0 व बढोतरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त नीरज पुत्र मूलचंद्र निवासी भट्ठा कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल थाना मऊ
2. आरक्षी दीप प्रताप

(ii). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा एसटी नं0 2878/2016 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मिथलेश पुत्र भूरा निवासी तीरधुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा
2. आरक्षी बब्बू राजा

(iii). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 2574/2022 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त विशम्भर नाथ त्रिपाठी पुत्र जगतपाल निवासी जगदीशगंज कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी धीरेन्द्र किशोर

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा परिक्रमा मार्ग में परिजन से बिछड़ी 06 वर्षीय बच्ची को सकुशल परिजनों से मिलाया।

कल दिनाँक-04.11.2022 को रात्रि लगभग 08 बजे चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा के साथ परिक्रमा मार्ग में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें एक बच्ची रोते हुए मिली जिसकी उम्र करीब 06 वर्ष थी। पुलिस टीम द्वारा बच्ची से माता-पिता का नाम पूछा तो उसने अपना नाम कृति पिता जी का नाम अशोक साहू निवासी ग्राम पंखुड़ी जनपद सतना बताया। पुलिस टीम द्वारा परिक्रमा मार्ग एवं आस-पास धर्मशाला, सार्वजनिक स्थानों पर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रय़ास करते हुए बच्ची के परिजनों को खोज निकाला। बच्ची के पिता श्री अशोक साहू जी द्वारा बताया गया कि वह अपने परिजन के साथ दर्शन एवं परिक्रमा करने आए हुए है। परिक्रमा के दौरान उनकी बच्ची कृति उनसे बिछड़ गयी थी हम लोग काफी परेशान थे एवं खोज रहे थे। अपनी बच्ची से मिल परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान चित्रकूट पुलिस को धन्यवाद दिया।

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. चौकी प्रभारी परिक्रमा श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा
2. आरक्षी शिवम मिश्रा

(7). आज दिनाँक-05.11.2022 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप शुक्ला की उपस्थिति में तहसील मऊ सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह, वरि0उ0नि0 थाना बरगढ़ श्री कृपानन्दन शर्मा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।